



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-141

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 272958 दिनांक 20/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Param Vyas S/o CHETAN VYAS	श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्री नारायण चौधरी	S12	11.11 SQ. METER	Private	BANK OFFICERS CAMPUS -C Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना बैंक ऑफीसर्स कैम्पस सी-ब्लॉक के भूखण्ड संख्या एस-12 क्षेत्रफल 11.11 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 19.08.2010 को श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्री नारायण चौधरी के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2012 को श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्री नारायण चौधरी के द्वारा जितेन्दर गुलाठी पुत्र तिलक राज गुलाठी को कर दिया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.12.2023 को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

जितेन्द्र गुलाठी
पुत्र तिलक राज
गुलाठी द्वारा
विक्रम राज
मित्रुका पुत्र अशोक
कुमार मित्रुका को
कर दिया गया है।
तत्पश्चात् उक्त
भूखण्ड का बेचान
जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक
17.12.2025 को
विक्रम राज
मित्रुका पुत्र अशोक
कुमार मित्रुका
द्वारा श्री परम
व्यास पुत्र चेतन
व्यास को कर
दिया गया है।
आवेदक द्वारा
नाम हस्तांतरण
हेतु आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Param Vyas S/o CHETAN VYAS को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।